

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 31/2021 अपील

1. सोहनलाल पिता जगन्नाथ मीणा बनाम 1. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का
निवासी टोला, तहसील जहाजपुर धौड़ तहसील जहाजपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण संख्या 16/2021 निर्णय
दिनांक 22.07.2021

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.06.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 16/2021 निर्णय दिनांक 22.07.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का धौड़ ने एक पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 16/07/2021 को पेश की हैं कि संवत् 2078 में खसरा नम्बर 501 कुल रकबा 2.01 बीघा किस्म गैर गुमकिन रास्ता भूमि में से 0.08 बीघा पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हैं जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल पर अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया व दिनांक 22.07.2021 को न्यायालय द्वारा गैर सायल के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत ग्राम टोला की राजकीय भूमि खसरा संख्या 501 कुल रकबा 2.01 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि में से 0.08 बीघा भूमि पर भौतिक रूप से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान की दर 0.40/- रुपये के 50 गुना 20/- रुपये जुर्माना आरोपित किया गया व 3 माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई जाकर, एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया जिससे भी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये और न ही किसी स्वतंत्र गवाहान के बयान

Lulu

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लेखबद्ध किये और न ही पटवारी हल्का से जिरह आदि करने का अवसर अपीलार्थी को दिया गया, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को तलबी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया जिससे भी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये और न ही किसी स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध किये। अपीलार्थी का वाद वर्णित कृषि आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है जिससे भी अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विधि संवत् नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।



राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी आदतन अतिक्रमी होने से पटवार हल्का धौड़ ने एक पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 16/07/2021 को पेश की है कि संवत् 2078 में खसरा नम्बर 501 कुल रकबा 2.01 बीघा किस्म गैर गुमकिन रास्ता भूमि में से 0.08 बीघा पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल पर अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा- 91 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया व दिनांक 22.07.2021 को न्यायालय द्वारा गैर सायल के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत ग्राम टोला की राजकीय भूमि खसरा संख्या 501 कुल रकबा 2.01 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि में से 0.08 बीघा भूमि पर भौतिक रूप से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान की दर 0.40/- रुपये के 50 गुना 20/- रुपये जुर्माना आरोपित किया गया व 3 माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई जाकर, निर्णय पारित कर दिया गया जो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पटवार हल्का धोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 अनुसार ग्राम टोला की आराजी नम्बर 501 रकबा 2.01 बीघा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म गे.मु. रास्ता के आंशिक भाग में अपीलार्थी अतिक्रमी नीमराज पिता रामकुंवार, सुरेन्द्र पिता कैलाश, सोहन पिता जगन्नाथ, प्रेमा पिता कालू द्वारा रास्ते को खाली कर स्वतंत्र कर दिया गया है, अन्य अतिक्रमियों का मौके पर जो पूर्व में अतिक्रमण था, ज्यों का त्यों ही हैं। अतः पटवार हल्का धोड़ की मौका पर्चा अनुसार प्रश्नगत आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होने से, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2021 के निर्णय अनुसार अपीलार्थी /अतिक्रमी को 03 माह के सिविल कारावास की सजा से माफ की जाना न्यायोचित है एवं अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहने योग्य ठहरता है।


उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 16/2021 को तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। पटवार हल्का धोड़ की दिनांक 03.08.2021 की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2021 निर्णय दिनांक 22.07.2021 में से अपीलार्थी/अतिक्रमी को 03 माह के सिविल कारावास की सजा से माफ किया जाता है, एवं अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलकट्टर
भीलवाड़ा